

Bank CompromiseDisposal

pulive /

## IN THE COURT OF THE CERTIFICATE OFFICER AT GHATSILA.

Certificate Case No - ... 372 / B4 / D.V.M. / 22-23


Schedule XL III High Court N. (J) (Old) (M) (964)

## FORM OF ORDER SHEET

BANK OF INDIA.  
MUTURKHAM.

-Verses-

SMT.NASRIN TABASSUM,  
W/O-IBRAR MUSTAFA,  
AT-NARSINGHGARH,KOKPARA,  
P.O-DHALBHUMGARH,  
P.S- DHALBHUMGARH,  
DIST -EAST SINGHBHUM  
JHARKHAND.

SL. No & Date of Orders	Order with the signature of the Court	Note of action taken on order with date
<u>07/11/22</u>	<p>Seen the requisition filed by Branch Manager B.O.I Muturkham branch. for recovering of <b>Rs.1,01,400.00</b> (One Lakh One Thousand Four Hundred) only from Smt.Nasrin Tabassum.Son/Daughter/wife of <b>Ibrar Mustafa,At-Narsinghgarh,kokpara</b> P.O.+ P.S.-Dhalbhumgarh, Dist-East Singhbhum, State-Jharkhand on account of Bank Loan/Road Tax/Additional Tax/ Scheme Under P.D.R. Act.</p> <p>Also seen the verification report appended on the requisition have satisfied myself that demand is recoverable and the recovery of suit is no barred by law-accordingly the certificate is signed.</p> <p>Advoleran Cost of Rs. - 4,600 .... have been filed. Enter in register X and issue notice U/s. 7 of the P.D.R. Act Put up record on ...</p> <p><u>08.12/2022</u></p> <p>Dictated</p> <p> Certificate Officer, Ghatsila.</p>	

(2)

8/12/2022  
5/02/2023

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया है, नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, दैनिकार अनपस्थित है, दैनिकार के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी न्यायालय में कोई शर्श तथा आवेदन इस न्यायालय में जमा नहीं किया गया है, वितीय वर्ष समाप्ति पर है, बकाया शर्श वसूली आवश्यक प्रतीत होता है,

अतः बकाया शर्श वसूली हेतु दैनिकार के नाम से चूताफनी नोटिस निर्गत करें, नोटिस तामिला हेतु थाना प्रभारी धारुमंड को भेजें,

अभिलेख दिनांक - 25/03/2023 को सर्वे,  
लैखापित

अनु० पट्टा - सह-  
नीलाम पुत्र पट्टा  
धातरिला,

22/03/23

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया है। शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया मुदुरखाम शाखा के फाइल MKM/SM/22-23/11, दिनांक - 15/03/23 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, वाट्ट से 0-372/BL/BVM/22-23 के दैनिकार Nabhan Tabassum का बैंक में कोई बकाया शर्श लखित नहीं है, एवं बैंक द्वारा अवरोध कोट की भी इस न्यायालय में जमा कर दिया गया है एवं वाट्ट को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु दैनिकार के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

अतः शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया मुदुरखाम शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर वाट्ट की अग्रतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लैखापित

अनु० पट्टा - सह-  
नीलाम पुत्र पट्टा  
धातरिला,